



# GOA PRADESH CONGRESS COMMITTEE

Address D B Bandodkar Marg, Panaji, Goa 403 001 ☎ 0832 - 2223765 Fax 0832 - 2235414

Website www.gpcc.co.in E-mail goapcc@gmail.com

6<sup>th</sup> June 2019

To,  
Shri Santosh Kumar,  
Under Secretary,  
Election Commission of India,  
Nirvachan Sadan,  
Ashoka Road,  
New Delhi-110001

Sub Submission of details in respect of Electoral Bonds regarding

Ref No 76/Transparency/2017/PPEMS/Vol II

Dear Sir,

Enclosed please find herewith the statement of Electoral Bonds received from  
M/s V M Salgaonkar & Bros Ltd, Vasco

Thanking you,

Yours sincerely,

  
KHEMLO SAWANT

Secretary



# GOA PRADESH CONGRESS COMMITTEE

Address D B Bandodkar Marg, Panaji, Goa 403 001 ☎ 0832 - 2223765 Fax 0832 - 2235414  
Website www gpcc co in E-mail goapcc@gmail com

STATEMENT OF ELECTORAL BOND RECEIVED FROM V.M SALGAONKAR & BROTHERS DURING PARLIAMENTARY ELECTION 10<sup>th</sup> APRIL 2019. THE DETAILS ARE AS FOLLOWS -

DATE	DETAILS	AMOUNT
10/4/2019	30 Electoral Bonds @1,00,000/- Bond	30,00,000/-
		<hr/> 30,00,000/- =====

(Rupees Thirty Lakhs Only)

Thanking you,

Yours sincerely,

  
KHEMLO SAWANT  
Secretary



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)  
कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021  
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।


उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

  
प्रधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक वकिंग लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है ।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का अधिनियम 29) के तहत पंजीकृत है और जिस लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो ।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल मात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोल गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है ।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी ।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा ।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Beare, Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs, Ministry of Finance Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of valid tv period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)  
कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021  
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।


उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji  
13 0 APR 2019

  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इमपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंक लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भाषित काय विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 ए के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोले गए अपने नामित बैंक खाते में इस जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs Ministry of Finance, Govt. of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party or his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।


उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

11 APR 2019

  
प्रामाणिकृत (हस्ताक्षरी)  
Authorized Signatory  
इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक गणित लिखित होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग विन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी वैध राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) का धारा 29 के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोले गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिनों के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुन हा जान का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment or Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading





# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND

(प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

0 APR 2019

प्रधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इपी दास  
IMPY DAS  
D-8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंक में लिखित होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छा अनुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 44) के धारा 29 के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में खले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पान राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोले गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाना राजनीतिक पार्टी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2<sup>nd</sup> January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance Govt. of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2<sup>nd</sup> January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021  
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।


For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No. 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

11.04.2019

  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory

इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बेंकिंग लिखत द्वाारा जिस भारतीय स्टेट बैंक द्वाारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोल गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की देयता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदल में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dep. of Economic Affairs, Ministry of Finance Govt. of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND

(प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।


For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No. 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

10 APR 2019



प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory

इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्तें

1. इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंकिंग लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 26 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
2. इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
3. इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोल गए अपने नामित बैंक खाते में इस जमा करके किया जा सकता है।
4. इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को काइ भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
6. क्रेता का इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
7. क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाना का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
8. इलेक्टोरल बॉण्ड पर कार्ड व्याज नहीं दिया जाएगा।
9. इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

1. Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance Govt. of India.
2. Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly.
3. Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018.
4. Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period.
5. No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances.
6. Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis.
7. No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
8. No interest shall be payable on Electoral Bond.
9. Electoral Bond shall not be eligible for trading.



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)  
कार्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021  
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No. 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

*Panaji*

11-01-2018

*Impy Das*  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory

इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बेकिंग लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी का सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोल गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता का इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड तूल प्रति गुप्त हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading





# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

11 0 APR 2019

प्रधिकृत/हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory

इपी दास  
IMPY DAS  
D-8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बंकिंग लिखत होगा जिस भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपना इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 के तहत पंजीकृत हो और जिन लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाल गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसूचक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोल गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वेधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वेधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुन हा जान का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड क बदल में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs Ministry of Finance, Govt. of India.
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly.
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018.
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period.
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances.
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis.
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond.
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading.



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)  
कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021  
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

*Pragati*  
6-0 APR 2019

*Impy Das*  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इम्पी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एव शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धातुक वक्रेम निखत होग, जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जर्ग्यिक कार्य विभाग वित्त मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है ।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (सर् 1951 का 43) की धारा 29 क क तहत पजीकृत हो आर जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव मे डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हा ।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 मे उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा मे खोल गर अपने नामित बैंक खाते मे इसे जमा करके किया जा सकता है ।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्मि की तारीख 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी परिस्थिति मे इन इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी मे नहीं किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी ।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जान का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एव विकृत बॉण्ड क बदले मे नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा ।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs Ministry of Finance Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)  
कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021  
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रॉमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory

इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंकिंग लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 व के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में खड़े गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोले गए अपने नामित बैंक खाते में इस जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई मुग्तान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 ऋता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुप्त हो जाना का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance Govt. of India.
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly.
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained in Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018.
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period.
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances.
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis.
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond.
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading.



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND

(प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No. 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

IMPY DAS

प्रामाणिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory

इपी दास  
IMPY DAS  
D-8758

## निम्न एव शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक वेकिंग लिखत हागा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आधिकारिक विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 क अनुसार जारी किया गया है ।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इर अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (पष 1951 का 43) की धारा 29 क क तहत पजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव मे डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है ।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 क अनुलग्नक-1 मे उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा मे खाल गग अपने नामित बैंक खाते मे इसे जमा करके किया जा सकता है ।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वधता उसक निर्गम की तारीख स 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 5 किसी भी परिस्थिति मे इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी मे नहीं किया जाएगा ।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी ।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा । कटे-फटे एव विकृत बॉण्ड के बदले मे नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा ।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा ।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Bnllng Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs Ministry of Finance Govt. of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading





# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND

(प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।


For value received the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

00 APR 2018

  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंक लिखत होगा जिस भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आधिकारिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रय इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी एमपी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 42) की धारा 29 के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में जाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खाल गए अपने नामित बैंक खाते में इस जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वेधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वेधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को काइ भुगतान नहीं दिया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाना का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।


For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No. 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

10 APR 2019

  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इंपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्त

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बेकिंग लिखत होगा जिस भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) के धारा 29 के तहत पंजीकृत हो और जिस लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में खले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल गान राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना सं 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खले गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs Ministry of Finance, Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment or Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND

(प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।


For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

9 APR 2019

  
प्रधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इपी दास  
IMPY DAS  
D-8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंकिंग लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में खले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलोक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोले गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाना का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India.
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly.
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018.
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period.
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances.
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis.
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond.
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading.



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND

(प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।


उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji  
11.04.2019

  
प्रोधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्तें

1. इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंक लिखत होगा जिस भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
2. इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी दृष्टानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 के तहत पंजीकृत है और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वाट प्राप्त हुआ हो।
3. इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोल गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
4. इलेक्टोरल बॉण्ड की वेधता उसके निगम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वेधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
5. किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
6. क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
7. क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाना का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
8. इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।
9. इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

1. Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance Govt. of India.
2. Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party or his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly.
3. Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018.
4. Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period.
5. No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances.
6. Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis.
7. No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be ordered.
8. No interest shall be payable on Electoral Bond.
9. Electoral Bond shall not be eligible for trading.





# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)  
कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021  
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।


उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

173  
[10 APR 2019]

  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इम्पी दास  
IMPY DAS  
D 8758

## नियम एवं शर्त

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बर्किंग लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल मात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुल्लंघन-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोल गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड खोल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs Ministry of Finance Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

6 APR 2018

  
प्रधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इपी दास  
IMPY DAS  
D 8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बकिंग लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आधिकार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के तहत पंजीकृत है और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाल गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोल गए अपने नामित बैंक खाते में इस जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की देधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड देधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता का इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND

(प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।


For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called The Electoral Bond Scheme, 2018, notified by the Central Government vide Gazette Notification No. 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

11 0 APR 2019

  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory

इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्त

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बॉन्ड लिखित होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इस अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 20 के तहत पंजीकृत हो और जिसने लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोले गए अर्पण नामित बैंक खाते में इस जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसकी निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाने का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs Ministry of Finance, Govt. of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 or the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading



# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)  
कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021  
Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point, Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND (प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, मांग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।


For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme, 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January, 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

11 0 APR 2019

  
प्राधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory  
इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8758

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंक लिखत होगा जिसे भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी का सुपुद कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के तहत पंजीकृत हो और जिस लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में झूठे गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोल गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदातार राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रेता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हा जान का दावा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होता।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered.
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading





# भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के तहत गठित / Constituted under the State Bank of India Act, 1955)

कॉर्पोरेट केन्द्र, स्टेट बैंक भवन, मादाम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400021

Corporate Centre, State Bank Bhavan, Madame Cama Road, Nariman Point Mumbai - 400021

## इलेक्टोरल बॉण्ड / ELECTORAL BOND

(प्रोमिसरी नोट के स्वरूप में / IN THE FORM OF PROMISSORY NOTE)

जारी करने की तिथि / DATE OF ISSUE

जारी करने की तिथि से 15 दिनों तक वैध / VALID UPTO 15 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE

लिखत की राशि / VALUE OF THE INSTRUMENT ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र / Rupees One Lakh only)

प्राप्त की गई राशि के लिए, बैंक एतद्वारा पात्र आदाता को जो इस लिखत का धारक है, माग करने पर पात्र राजनीतिक पार्टी के नामित बैंक खाते में यह मूल लिखत जमा करने पर इस लिखत की राशि ₹ 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देता है जो कि केन्द्र सरकार की गजट अधिसूचना क्रमांक 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 द्वारा अधिसूचित इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम, 2018 के अनुसार है।

उक्त राशि का भुगतान करने के उपरांत बैंक की देयता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी।

For value received, the Bank hereby promises to pay on demand to the eligible Payee which is holding this instrument, upon surrender of the original instrument in the Designated Account of the eligible Political Party with the Bank, the sum representing the value of this instrument of ₹ 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) in accordance with the Scheme called 'The Electoral Bond Scheme 2018', notified by the Central Government vide Gazette Notification No 20 dated the 2nd January 2018

On payment of the said amount, the liability of the Bank hereunder shall stand fully extinguished

स्थान / Place

Panaji

10 APR 2019

प्रधिकृत हस्ताक्षरी  
Authorized Signatory

इपी दास  
IMPY DAS  
D - 8768

## नियम एवं शर्तें

- 1 इलेक्टोरल बॉण्ड एक धारक बैंकिंग लिखत होगा जिस भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आधिकारिक वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुसार जारी किया गया है।
- 2 इलेक्टोरल बॉण्ड का क्रेता इसे अपनी इच्छानुसार किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सुपुर्द कर सकता / सकती है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (वर्ष 1951 का 43) की धारा 29 क के तहत पंजीकृत हो और जिसे लोक सभा अथवा विधान सभा के पिछले आम चुनाव में डल गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ है।
- 3 इलेक्टोरल बॉण्ड का नकदीकरण काल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा गजट अधिसूचना स 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के अनुलग्नक-1 में उल्लिखित प्राधिकृत बैंक शाखा में खोले गए अपने नामित बैंक खाते में इसे जमा करके किया जा सकता है।
- 4 इलेक्टोरल बॉण्ड की वैधता उसके निर्गम की तारीख से 15 दिन के लिए होगी और यदि बॉण्ड वैधता अवधि समाप्त होने के बाद जमा किया जाता है तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5 किसी भी परिस्थिति में इस इलेक्टोरल बॉण्ड का भुगतान नकदी में नहीं किया जाएगा।
- 6 क्रेता को इलेक्टोरल बॉण्ड की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- 7 क्रता द्वारा इलेक्टोरल बॉण्ड मूल प्रति गुम हो जाना तथा किए जाने पर कोई डुप्लिकेट इलेक्टोरल बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा। कटे-फटे एवं विकृत बॉण्ड के बदले में नया बॉण्ड जारी नहीं किया जाएगा।
- 8 इलेक्टोरल बॉण्ड पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- 9 इलेक्टोरल बॉण्ड ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं होगा।

## Terms & Conditions

- 1 Electoral Bond is a Bearer Banking Instrument which has been issued by State Bank of India vide Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018 issued by Dept. of Economic Affairs Ministry of Finance, Govt. of India
- 2 Purchaser of the Electoral Bond should hand it over to the Political Party of his/her choice registered under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and secured not less than one percent of the votes polled in the last General Election to the House of the People or the Legislative Assembly
- 3 Electoral Bond can be encashed only by an eligible Political Party by depositing the same in their Designated Bank Account maintained with Authorized Bank Branch as given in Annexure 1 of the Gazette Notification No. 20 dated 2nd January 2018
- 4 Electoral Bond shall be valid for 15 days from the date of issue and no payment shall be made to any payee Political Party if the Electoral Bond is deposited after expiry of validity period
- 5 No cash payment of Electoral Bond is allowed under any circumstances
- 6 Electoral Bond shall be issued to the buyer on non refundable basis
- 7 No duplicate Electoral Bond will be issued if the original is claimed to be lost by the Purchaser. No replacement of torn or mutilated Bond will be offered
- 8 No interest shall be payable on Electoral Bond
- 9 Electoral Bond shall not be eligible for trading